Chandra Shekhar Azad Uni... ...ring Departme...

विश्वविद्यालय अभियन्त्रण विभाग
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांकः सीएसएई– 466 /2026–27

दिनांक : अगस्त 06 ,2026

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर के अन्तर्गत विभिन्न स्थानो पर स्थापित जर्जर/जीर्ण–शीर्ण/निष्प्रयोज्य भवनो को तोड़कर उससे उत्पन्न मलबा यथा ईंट, इस्पात, खिड़की, दरवाजे, गार्डर एवं लकड़ी व पत्थर के टुकड़े व मिट्टी का निस्तारण करके स्थित भवन का स्थान समतल रूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु जहाँ है जैसा है के आधार पर मुहर बन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है, कोई भी निविदाकर्ता निविदा डालने से पूर्व निष्प्रयोज्य भवनों का निरीक्षण कर सकता है।

कार्य का विवरण	पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्धारित भवनों का मूल्य (रूपये में)	पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्धारित भवनों का कुल मूल्य पंर 100 प्रतिशत की बढोत्तरी के उपरान्त निलामी मूल्य (रुपये में)	जमानत/धरोहर की धनराशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि	निविदा खोलने की तिथि	अधिकतम मूल्य रुपये में अंकन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
निष्प्रयोज्य भवनो की निलामी	6,39,810.30	12,79,620.6	1,30,000.00	500.00	90 दिन	24.08.2026	

नियम एवं शर्ते

1. निर्धारित मूल्य से कम की निविदा मान्य नही होगी।
2. निविदा दिनांक 07.08.2026 से 22.08.2026 को अपराह्न 1:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 22.08.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा की सकती है एवं प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 24.08.2026 को अपराह्न 12 बजे अभियंत्रण विभाग में खोली जाएगी।
3. धरोहर धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो स्वीकार होगा। धरोहर धनराशि की डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किये बिना निविदा मान्य न होकर स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
4. सभी प्राप्त निविदाओ में से किसी एक निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति के अधीन होगा ।
5. उच्चतम निविदाकर्ता की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के बाद उसी दिन जमा करना होगा। ऐसा न कर पाने पर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को मौका दिया जाएगा।
6. जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उच्चतम निविदाकर्ता को छोड़कर शेष को वापस कर दिया जायेगा।
7. निविदा स्वीकृत के पश्चात/आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिनों के अन्दर शेष धनराशि जमा करना होगा। ऐसा न कर पाने पर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को मौका दिया जाएगा।
8. निविदाकर्ता को नियमानुसार बिक्रीकर जमा करना होगा जिसकी एक प्रति अभियंत्रण विभाग में उपलब्ध करानी होगी।
9. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कुल धनराशि जमा करने के पश्चात निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री को 90 दिनो के अन्दर उठा लेना होगा तथा उसकी रख–रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/संस्था की नही होगी।
10. निविदा में भाग के लिए जी.एस.टी. पंजीकरण, फर्म का पैन नम्बर, श्रम विभाग में पंजीकरण, जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करनां अनिवार्य होगा।
11. भवन गिराते समय किसी भी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होती है तो समस्त उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।
12. कार्य सम्बन्धित अभियंता की देख–रेख में अन्य किसी भी संरचना को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जाएगा।
13. निलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन मा0 कुलपति जी, सी.एस.ए.यू. के द्वारा किया जाएगा जो दरदाताओं को स्वीकार करना होगा।
14. सम्पत्ति कर विक्रय "जैसा है जहॉ है" के आधार पर किया जाएगा उच्चतम दरें स्वीकृत होने के उपरान्त कोई विकल्प स्वीकार्य नही होगा।
15. भवन ध्वस्तीकरण हेतु किसी विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा।
16. नीलामी में सम्मिलित भवन/भवनों को ध्वस्त करने से पहले इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखना होगा कि समीप के अन्य संरचनाओं, बिजली, तार, सीवर लाइन इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे यदि क्षति होती है तो उसको यथावत सही करने की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा मलवा निस्तारण की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के सामान्य क्रिया–कलाप बाधित न हो।
17. भवन ध्वस्तीकरण एवं मलवे के निस्तारण में स्थानीय समस्त नियम व व्यवस्थाओं का पालन करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यदि किसी सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति को क्षति होती है तो उसका निर्माण/क्षतिपूर्ति आपको स्वयं वहन करना होगा।
18. यदि भवन ध्वस्तीकरण के दौरान यदि कोई खजाना अथवा बहुमूल्य सामग्री निकलती है तो जिलाधिकारी कानपुर नगर को तत्काल सूचना देना होगा, वो उनके निर्देशानुसार जमा करना होगा।
19. जमानत धनराशि कार्यस्थल को पूर्ण रूप से साफ एवं समतल करने के उपरान्त ही वापस की जायेगी। ऐसा न करने की दशा में जमानत धनराशि/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
20. ध्वस्तीकरण के उपरान्त निकला हुआ मलवा विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर व किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं किया जायेगा।

(नौशाद खान)
नोडल अधिकारी
निष्प्रयोज्य भवन

पत्रांक व दिनांकः यथोपरि।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, ए.के.एम.यू., चं. शे. आ. कृषि एवं प्रौ. वि. वि. कानपुर को इस आश्य से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करें।
2. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. नोटिस बोर्ड।

(नौशाद खान)
नोडल अधिकारी
निष्प्रयोज्य भवन